

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 28.10.2024 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा
2. डॉ० संजय कुमार, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा।
3. ई० मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), सारण, छपरा - सदस्य। (VC के माध्यम से)।

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

1. श्रीमती सुधा गुप्ता, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, सारण प्रमंडल, छपरा। (दिनांक-05.11.2024 से RTA, सचिव के प्रभार में रहेंगी)
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज (VC के माध्यम से)।

कार्यवाही:-

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं VC से जुड़े सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. विगत बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही का अनुपालन हेतु निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा-76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 इत्यादि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सकें।

माह-अक्टूबर, 2024 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल 20 नये आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i) परिशिष्ट-III पर दर्ज है।

कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन
20	12	01	03	02	02

प्राधिकार का निर्णय परिशिष्ट-I से III पर, पृष्ठ संख्या-14 से 29 तक कुल-15 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों के लिए निर्देश।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापांक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
9	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।

5. दो वाहनों के प्रस्थान समय में न्यूनतम अन्तराल :- प्राधिकार की बैठक दिनांक-03.04.2024 में जिला मुख्यालय में दो वाहनों के प्रस्थान समय में अन्तराल न्यूनतम 10 मिनट एवं अन्य पड़ाव स्थानों पर अन्तराल न्यूनतम 07 मिनट निर्धारित किया गया था। जिस पर प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में विचार-विमर्श करने के उपरांत यात्रीगणों की सुविधा, परमिट हेतु प्राप्त आवेदनो की संख्या, बस पड़ाव में भीड़-भाड़ व वाहन स्वामियों के अनुरोध एवं सुझाव तथा अन्य निकटतम प्राधिकारों की पॉलिसी इत्यादि को देखते हुए इसमें निम्न कडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप संशोधन किया गया, जिसे यथावत् रखते हुए निर्धारित समय अंतराल के अनुसार प्राप्त आवेदनों का परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क. प्रारम्भिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:-

(i) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पूर्व (Before) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन के परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय के बाद (After) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

ख. मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल:- किसी मार्ग के मध्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में अन्तराल (पहले या बाद में) न्यूनतम 02 (दो) मिनट का अनुमान्य होगा।

6 (i) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ (FIFO) :- जिन वाहन स्वामियों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया का पालन कर प्राधिकार के आगामी बैठक में आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की इसी बैठक से "पहले आओ-पहले पाओ" का नियम लागू किया गया है, जिसके आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार (Server time के अनुसार) विचार किया जाएगा।

2

3

4

5

6

7

8

9

**(ii) Overlapping of Route:-** मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आते रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग पर परमिट धारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध किया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 में निर्णय लिया गया था कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दूसरे को आच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गत किया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो एवं समय का टकराव पूर्व के परमिट से आच्छादित वाहन से होता हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए उस पर परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा।

**(iii) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 एवं सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7695, दिनांक-13.05.2024 के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही में सभी बस मालिकों को उपरोक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-20.09.2024 के अंक में एवं तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-10.10.2024 के अंक में व समाचार पत्र प्रभात खबर के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अपने बसों के दोनों तरफ (a) परमिटधारी का नाम एवं पता (b) परमिट संख्या एवं वैधता (c) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (d) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लेने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु अभी भी कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया है।

पुनः सभी बस मालिकों को निदेशित किया गया कि वे अपने बसों के दोनों तरफ उपरोक्त सूचना अनिवार्य रूप से अंकित करा लें अन्यथा पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ-साथ नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करते हुए परिचालन पर रोक लगा दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन: सभी DTO, सारण प्रमंडलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

**(iv) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में VLTD स्थापित एवं सक्रिय होना:-** सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यवसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.2024 के कार्यवाही में एवं समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-20.09.2024 के अंक में तथा तत्पश्चात् पुनः समाचार पत्र हिन्दुस्तान के दिनांक-10.10.2024 के अंक में व समाचार पत्र प्रभात खबर के दिनांक-10.10.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु अभी भी कतिपय बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं कराया गया है।

अतएव सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे। साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर नियमानुसार परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।

(v) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :-

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे अन्यथा 15 वर्ष पूरा होने एवं परिचालन मार्ग 100 कि०मी० से अधिक होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(iv) गति सीमा :-

(क) गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध है किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए यह स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से उल्लेख करेंगे कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-9(i)(m) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ख) न्यूनतम गति सीमा का पालन :- कतिपय बस मालिकों द्वारा अत्यंत धीमी गति से बसों का परिचालन किया जाता है एवं उसी के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन कराया जाता है। ऐसी स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्राधिकार द्वारा बसों की न्यूनतम गति निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

सामान्य बस:- 20 किमी/घंटा  
MMPPY बस:- 10 किमी/घंटा

2  
संज  
A  
P  
4  
4  
9

यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

7. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:-

(i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति/भिन्नता, विशेष कर समय-सारणी में विसंगति/भिन्नता पाये जाने पर परमिट हेतु दी गई स्वीकृति को अस्वीकृत माना जायेगा एवं नियमानुसार आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।

(ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट ([www.sarandivision.bih.nic.in](http://www.sarandivision.bih.nic.in)) पर प्रकाशित की जा रही है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगमता से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी, बैठक की सूचना, ऐजेण्डा, बैठक की कार्यवाही इत्यादि। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों का Sample भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

(iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात् निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सके। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जायेगा।

अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निबंधन पुरितका/ Owner book में अपना सही पता अनिवार्य रूप से अद्यतन करा लें।

(iv) परमिट युक्त वाहन का आवश्यक कागजात फेल होने की स्थिति में परिचालन के संबंध में कार्यालय को सूचना :- प्राप्त आवेदन की समीक्षा के क्रम में अथवा इस संबंध में आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में प्रायः वाहन स्वामियों द्वारा कहा जाता है कि उनके द्वार वैसे किसी वाहन, जिसका आवश्यक कागजात फेल है का परिचालन नहीं किया जा रहा है अथवा कागजात फेल होने की अवधि में परिचालन नहीं किया गया है।

अतः इस संबंध में सभी वाहन स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि यदि उनके बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन का कोई मान्य कागजात फेल है एवं उसका परिचालन वे नहीं कर रहे हैं, तो इसकी सूचना ससमय कार्यालय को दें अन्यथा यह माना जायेगा कि उनके द्वारा उक्त वाहन का परिचालन किया गया है/किया जा रहा है (deemed operation of vehicle on road) एवं उक्त के अनुसार कार्रवाई/जुर्माना की जायेगी।

(v) V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(vi) आवेदन एवं ऐजेण्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।

(vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जायेगा।

(viii) शिकायत हेतु E-mail :- यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id- rtasaranbihar@gmail.com पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले आयुक्त के सचिव-सह-संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

(ix) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराहन् 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

(नोट:- प्राधिकार की आगामी बैठक भी VC के माध्यम से हाईब्रीड मोड में आयोजित की जायेगी। आवेदकगण संबंधित जिला परिवहन कार्यालय यथा-सारण, सिवान, गोपालगंज से VC के माध्यम से भाग ले सकते हैं।)

(x) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया गया है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
1.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में।	पत्रांक-188, दिनांक-14.09. 2024	हिन्दुस्तान	20.09.2024
2.	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना, बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं VLTD स्थापित व सक्रिय कराने के संबंध में। साथ ही 167 प्रमादी वाहनों को भेजे गये नोटिस के संबंध में।	पत्रांक-380, दिनांक-04.10. 2024	हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर	10.10.2024

## 8. सामान्य निदेश:-

(i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को मुजफ्फरपुर प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- उन सभी बसों को जिनके परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, वे एक सप्ताह के अन्दर वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है। अधिकतर परमिटधारी इस शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

किसी भी आवेदक या गुप के वाहन का पूर्व में निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर कराकर कार्यालय में साक्ष्य समर्पित नहीं किया जाता है तो प्रति लंबित वाहन पर 5000=00 रूपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया जायेगा एवं भविष्य में उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन किया जा रहा है, वैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया जाता है, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड, समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड, समूह/बैनर के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। वैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया जाता है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर एवं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक/ऑपरेटर)

(iv) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक

2

aj

A

9

7 8

2

उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबन्धित है। इससे विद्युत तार से सम्पर्क होने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि इस तरह के मामले की जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

कतिपय वाहन स्वामी स्टेज कैंरेज (पाँच वर्ष) का परमिट प्राप्त कर स्कूल बस में परिचालित करते हैं एवं टाईम रलॉट घेर कर रखते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है।

स्टेज कैंरेज का परमिट प्राप्त कर परिचालन नहीं करना परमिट के शर्तों का उल्लंघन है। शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों की जाँच करायी जायेगी एवं परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में कार्रवाई करते हुए नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 सारण, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

(v) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, वी0एल0टी0डी0 इत्यादि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि आपत्तिकर्ता/उनके ग्रुप के किसी भी वाहन के कागजात अद्यतन नहीं है या जुर्माना बकाया है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के काउन्टर नं0-01 अथवा कार्यालय के ई-मेल-rtasaranbihar@gmail.com पर भेजें, इससे कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

9. नये आवेदन :-

(i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है, परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो तथा कार्यालय अभिलेख के लिए आवश्यक कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउन्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtasaranbihar@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। अतएव सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि निम्न कागजातों के साथ आवेदन करेंगे:-

(a) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(b) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(d) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(e) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैटान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।

(h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।



(i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(j) मार्ग का वैध नक्शा।

(k) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 में) ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेश प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।

(l) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 27 रुपये के डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(m) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

(ii) अपूर्ण आवेदन :- ऐसा प्रार्य देखा गया है कि कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं, जैसे वाहन की संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उस दूरी को तय करने में लगने वाले समय लिखने में या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाईन नहीं कराने में या मोटरयान निरीक्षक का प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) संलग्न नहीं करने में। ऐसे मामले में आवेदक के अनुरोध पर लिपिकीय भूल/त्रुटि को 5,000/-रुपये की जुर्माना लगाकर संशोधित करने का विकल्प प्राधिकार द्वारा दिया जा सकता है।

नोट:- किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जायेगा।

यदि त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-3) में शपथ-पत्र एवं जुर्माना की राशि जमा किया जायेगा एवं त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनके समय-सारणी का टकराव किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से नहीं होगा तो इस शर्त के साथ परमिट स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। यह वैकल्पिक है। आवेदक चाहे तो इस विकल्प को नहीं मानकर पुनः नियमानुसार पूर्ण आवेदन दे सकते हैं।

अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय-सारणी की सही जानकारी प्रतिद्वंदी आवेदकों/पूर्व से परमिटधारी को नहीं हो पाने से उचित आपत्ति देने एवं कार्यालय द्वारा भी सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को पूर्ण मात्र ऑफलाईन माध्यम से ही कराया जा सकता है। इस प्रकार इसे अच्छी प्रथा नहीं कहा जा सकता है। पुनः कार्यालय को नये सिरे से जाँच-पड़ताल कर परमिट देना पड़ता है, इसलिए जुर्माना लगाये जाने का निर्णय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लोकहित एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ विकल्प रहेगा, यदि आवेदकगण

जुर्माना नहीं देना चाहें तो वे पुनः नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं। जो जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001020014-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र के साथ सूचना देंगे। तत्पश्चात् ही त्रुटि/लिपिकीय भूल सुधार कर नियमानुसार उचित होने पर परमिट निर्गत किया जाएगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

(iii) जुर्माना लंबित होने पर भी परमिट हेतु आवेदन करने पर अतिरिक्त जुर्माना :- यदि किसी आवेदक/आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना की राशि लंबित होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित किया जायेगा तो लंबित जुर्माना के अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा। डिफॉल्टर होने के बावजूद आवेदन/आपत्ति समर्पित करना नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि जो आवेदक/आपत्तिकर्ता स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहा है या Defaulter है उसे लाभ/अपना दावा/परमिट प्राप्त करने का कोई हक नहीं है। ऐसे आवेदकों/आपत्तिकर्ताओं पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त 10000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना जमा करने पर उनका आवेदन/आपत्ति स्वीकृत किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि इस बैठक हेतु प्राप्त आवेदनों के समीक्षा के क्रम में कतिपय बैनरों के अंतर्गत संचालित होने वाले कई वाहनों पर जुर्माना लंबित पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित वाहन स्वामियों को बैठक से पूर्व दूरभाष पर सूचना दी गई थी एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा बकाया जुर्माना जमा किया गया। चूंकि उक्त प्रावधान लागू किये जाने के पश्चात् यह पहली बैठक थी इसलिए वाहन स्वामियों के हित में कार्यालय द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया। भविष्य में इस हेतु सूचित नहीं किया जायेगा। यदि जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है अथवा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः बस मालिकों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक से पूर्व यदि आपके गुप/बैनर के किसी वाहन पर अधिरोपित जुर्माना बकाया है तो उसे जमा कर दें एवं सभी वाहनों का कागजात अद्यतन करा लें।

(iv) प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :- प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन के स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आई0डी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे। कई वाहन स्वामी अन्य आवेदकों के लिए आवेदन देते हैं या बैठक में पक्ष रखते हैं। वैसे आवेदकों को प्राधिकार द्वारा एक ही बैनर के अंतर्गत वाहन परिचालित करना माना जायेगा एवं किसी एक आवेदक पर जुर्माना लंबित होने की स्थिति में उस बैनर के सभी आवेदकों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) कार्यवाही में अंकित एवं अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी वाहनों के कागजात की जाँच करना :- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डल अंतर्गत को निदेश है कि प्राधिकार की कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों एवं अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत परिचालित होने वाले वाहनों के सभी कागजातों यथा-टैक्स, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, VLTD, परमिट आदि की जाँचकर नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा सभी कागजात अद्यतन कराना सुनिश्चित करेंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन

पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

विदित हो कि विगत कुछ माह पूर्व मध्य प्रदेश के गुना में बस और ट्रक में भिड़ंत के कारण 13 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी एवं 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गये थे। उक्त बस बिना परमिट एवं फिटनेश के परिचालित हो रही थी। बस का टैक्स भी जमा नहीं था। इस मामले में सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए राज्य परिवहन आयुक्त, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्थानांतरित कर दिया गया एवं लापरवाही बरतने वाले जिला परिवहन पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यवाही में अंकित वाहनों के साथ-साथ अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित होने वाले सभी वाहनों की कागजातों की जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो एवं कृत कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(vi) कार्यालय में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि कार्यालय में ऑनलाईन या E-mail के माध्यम से आवेदन समर्पित करेंगें। यदि किसी कार्य हेतु कार्यालय में आना पड़े तो काउण्टर संख्या-1 पर आवेदन समर्पित करेंगें। यदि किसी कार्यालय कर्मियों के कार्य/व्यवहार से असंतुष्ट हो तो आर0टी0ए0 सचिव-सह-आयुक्त के सचिव से इसकी शिकायत कर सकते हैं, परन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कार्यालय में हंगामा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vii) समान मार्ग संख्या वाले परमिट से ही कार्यालय अभ्युक्ति :- कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया गया है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया गया है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया गया है, जिसपर आपत्ति प्राप्त हुई है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय का टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया गया है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया गया है।

(viii) परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाईम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाईम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का VLTD रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी एवं परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें, जिससे कि यात्रीगणों को सुविधा मिल सके।

(ix) स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त बसों का विशेष परमिट प्राप्त कर हमेशा दूर में परिचालन करना:- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा इस प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट (टाईमिंग परमिट) लेकर इस प्राधिकार से एवं अन्य प्राधिकार से भी विशेष परमिट प्राप्त कर बस का दूर में परिचालन किया जाता है और टाईम स्लॉट घेर कर रखा जाता है, जिससे उस समय-अवधि में बस का परिचालन नहीं होने से आम जनों को यात्रा करने में परेशानी हो सकती है।

इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि टाईमिंग परमिट प्राप्त बसों का इस प्राधिकार से या अन्य प्राधिकार से भी एक कैलेंडर माह में सिर्फ एक ही बार एक सप्ताह के लिए विशेष परमिट प्राप्त कर परिचालन किये जाने की अनुमति होगी। इस प्रावधान का अनुपालन नहीं कर अन्य प्राधिकार से विशेष परमिट लेकर टूर पर परिचालन करने वाले बसों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई किया जा सकता है साथ ही किसी आवेदित वाहन के टाईम स्लॉट से टकराव होने की स्थिति में भी आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।

(x) फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :- प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(xi) आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :- वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि जैसे परमिट जिसे वे प्रत्यर्पित करना चाहते हैं एवं जिसके टाईम स्लॉट से आवेदित वाहन का टाईम स्लॉट का टकराव हो रहा हो, को आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व कार्यालय में प्रत्यर्पित कर दें, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।

(xii) दो पड़ावों के बीच दूरी :- कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया गया है। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में प्रतिवाद/आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर यदि आवश्यक हुआ तो विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा। यदि किसी मार्ग की दूरी में विभाग द्वारा सुधार किया जाता है, तो यह दूरी विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार के बाद की तिथि से प्राप्त आवेदन के लिए मान्य होगी।

(xiii) High Security Registration Plate :- केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। बैठक में प्राप्त कतिपय आवेदित वाहनों/आपत्तिकर्ता के वाहनों में H.S.R.P. लगे नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है। अतः सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि अपने वाहन में H.S.R.P. लगवा लें एवं ऑनलाईन भी अपडेट करा लें।

कतिपय वाहनों में स्थानीय दूकानों/फुटपाथों पर स्थापित दूकानों द्वारा मूल निबंधन संख्या की जगह दूसरे निबंधन संख्या का फर्जी नम्बर प्लेट लगा दिया जाता है, जिसके कारण E-Challan निर्गत होने पर पता चलता है कि जिस वाहन का चालान निर्गत किया गया है, वह किसी अन्य स्थान पर है। फर्जी निबंधन प्लेटों/नंबर प्लेटों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी बसों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।


(xiv) नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।


(xv) विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन :- सभी मोटरयान निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का भौतिक जाँच/सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है तो नियमानुसार आवेदित वाहन का निरीक्षण/भौतिक जाँच कर वस्तु स्थिति की सूचना विहित प्रपत्र में अंकित करते हुए सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।


(xvi) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-8866, दिनांक-09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों से अनुरोध है कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से सभी बसों के परमिट की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। परमिट की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर वैसे वाहनों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

  
अपर समाहर्ता, सारण (राजस्व)  
-सह-  
सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
सारण छपरा।

  
आयुक्त के सचिव-सह-संयुक्त  
आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
सारण, छपरा।

  
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....418...../ सारण, दिनांक.....01-11-2024/

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, सारण प्रमण्डलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।


प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

  
आयुक्त के सचिव  
-सह-  
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,  
सारण, छपरा।

  
01/11/2024

  
01/11/2024

  
01/11/24

  
1-11-2024

पृष्ठ - 14

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक

दिनांक-28.10.2024 की कार्यवाही।

समय:-01 बजे अपराहन से,

स्थान:- आयुक्त कार्यालय (हाईब्रिड मोड से)

२

२

२

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा की बैठक दिनांक-28.10.2024 की कार्यवाही:-			पृष्ठ सं०
कार्यावाली सं०-01	1	गत बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	
कार्यावाली सं०-02		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।	परिशिष्ट-I
	(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक)	
	(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)	
	(iii)	अध्यक्षीय आदेश से बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची।	
कार्यावाली सं०-03	(i)	बसों के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज परमिट) निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	परिशिष्ट-II
	(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवाड़ी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारण।	परिशिष्ट-III
	(iii)	एजेन्ट लाईसेंस।	
	(iv)	स्थायी परमिटों के प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	
	(v)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	
	(vi)	स्थायी सवाड़ी गाड़ी के परमिट रद्द करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण।	

8

9

A

g

7

10

## परिशिष्ट-1

<b>कार्यावली सं0-01</b>	
गत बैठक दिनांक-10.09.2024 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	अनुपालन किया जा रहा है।
<b>कार्यावली सं0-02(i-ii)</b>	
प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची, दिनांक-01.09.2024 से 26.10.2024 तक।	
(i)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (1-28 दिन तक) -शून्य
(ii)	नेशनल परमिट का ऑथोराइजेशन (एक वर्ष)- 04

<b>कार्यावली संख्या- 2 (iii)</b>						
अध्यक्षीय आदेश से बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरित किये गये परमिटों की सूची। :-						
क्र०सं०	पूर्व परमिटधारी का नाम व पता	वर्तमान परमिटधारी का नाम व पता	वाहन संख्या	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1.	अब्दुल सलाम, पिता-हारुण रसीद, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	अजमेरी खातुन, पति- अब्दुल सलाम, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	BR28P-1547	BR2023-SC-1676A	08.06.2028	स्वीकृत।
2.	अब्दुल सलाम, पिता-हारुण रसीद, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	अजमेरी खातुन, पति- अब्दुल सलाम, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	BR28L-4647	BR2023-SC-0239A	15.01.2028	स्वीकृत।
3.	अब्दुल सलाम, पिता-हारुण रसीद, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	अजमेरी खातुन, पति- अब्दुल सलाम, पता-तकिया याकूब, गोपालगंज।	BR28L-5847	BR2023-SC-1708A	13.06.2028	स्वीकृत।



प्राप्त आवेदनों की विवरणी			प्राप्त आपत्ति से संबंधित विवरणी		कार्यालय समीक्षा			
क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या, निबंधन की तिथि एवं कागजातों की वैधता	मार्ग, मार्ग संख्या, प्रस्थान का समय	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन की विवरणी	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन की विवरणी	निर्णय
1.	श्री मोहित कुमार ओझा पिता-श्रीकान्त ओझा ग्राम+पो0+थाना- सहाजितपुर, जिला-सारण  बैनर का नाम- रोहित मोहित ट्रेवलस	BR01PE-7849 नि० तिथि-13.03.14 टैक्स-05.02.2025 फिटनेश-15.02.2025 बीमा-14.11.2024 प्रदूषण-02.08.2025 VLTD-14.12.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हैं	छपरा-सिवान, मार्ग सं०-3733 छपरा प्र०-04:48 सिवान प्र०-10:25	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है एवं मान्य कागजात अद्यतन करा लिया गया है।		स्वीकृत।
2.	श्री सुमन ओझा पिता-श्रीकान्त ओझा ग्राम+पो0+थाना- सहाजितपुर, जिला-सारण  बैनर का नाम- रोहित मोहित ट्रेवलस	BR04Q-2119 नि० तिथि-09.02.15 टैक्स-08.11.2024 फिटनेश-06.08.2025 बीमा-12.05.2025 प्रदूषण-12.12.2024 VLTD -06.10.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	छपरा-सिवान मार्ग सं०-3733 छपरा प्र०-04:13 सिवान प्र०-09:30 छपरा प्र०-13:36 सिवान प्र०-17:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।		आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो एस0टी0ए0, बिहार से दिनांक-18.03.2023 को निर्गत है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है एवं मान्य कागजात अद्यतन करा लिया गया है।		स्वीकृत।
3	श्रीमती सुजाता पाण्डेय पति-श्री आलोक कुमार पाण्डेय ग्राम+पो0-पकडी, थाना-डुमरियाघाट जिला-पूर्वी चम्पारण  बैनर का नाम- आलोक बस सर्विस	BR05PB-0346 नि० तिथि-16.02.19 टैक्स-07.02.2025 फिटनेश-08.05.2025 बीमा-25.04.2025 प्रदूषण-04.11.2024 VLTD -24.03.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं।	गुठनी-रक्सौल मार्ग सं०-3675 गुठनी प्र०-07:08 रक्सौल प्र०-13:09	1. आपत्तिकर्ता- श्री राम तपस्या यादव, वाहन सं०-BR06PF-1859 (उक्त वाहन का परमिट मुजफ्फरपुर प्राधिकार से स्वीकृत है, परन्तु परमिट डाक से आवेदक को प्राप्त नहीं) आपत्तिकर्ता का आपत्ति है कि आवेदित वाहन के स्थायी परमिट को रद्द करने की अनुशासा की गई थी, परन्तु अभी तक उक्त परमिट को रद्द नहीं किया गया है। साथ ही उक्त वाहन का परिचालन भी उक्त परमिट पर किया जा रहा है।	BR06PF-1859 नि० तिथि-31.07.21 टैक्स-23.10.2024 फिटनेश-30.08.25 बीमा-26.08.2025 प्रदूषण-22.10.2025 VLTD -14.08.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	कार्यालय अभिलेख मिलान करने पर पाया गया कि आवेदित वाहन पर धारित परमिट को प्राधिकार की बैठक दिनांक-03.09.2024 में रद्द कर दिया गया है, परन्तु आवेदित वाहन पर तत्समय किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष आवेदन लंबित रहने के कारण वाहन पोर्टल से परमिट रद्द नहीं किया जा सका था। वर्तमान में भी इस वाहन पर आवेदन विवाराधीन है।	चूंकि आवेदित वाहन का परमिट पूर्व के बैठक में रद्द किया जा चुका है एवं उक्त के आलोक में मूल परमिट दिनांक-26.9.2024 को उपलब्ध करा दिया गया है, जो तकनीकी कारणों से अब तक पोर्टल से निष्पादित नहीं हो सका है। अतः परमिट स्वीकृत।	

4	<p>श्री गोविन्द कुमार पति-श्री जलेश्वर राय ग्राम-पो0-साढा, धाना-मुपरील जिला-सारण, छपरा।</p> <p>बैनर का नाम-दुलरी</p>	<p>BR01PR-3420 नि0 तिथि-28.03.17 टैक्स-03.01.2025 फिटनेश-14.05.2026 बीमा-16.10.2025 प्रदूषण-19.03.2025 VLTD -13.08.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>बसहिया-छपरा मार्ग सं0-2174डा0 बसहिया प्र0-04:40 छपरा प्र0-08:39 बसहिया प्र0-10:16 छपरा प्र0-12:23 बसहिया प्र0-15:10 छपरा प्र0-18:32</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता- श्री पप्पु कुमार राय, पिता- प्रमुनाथ नाय, परमिट सं0-BR2023-SC-0560A आवृत वाहन सं0-BR04G-6308 मार्ग-बसहिया-छपरा। मार्ग सं0- आवेदक- बसहिया प्र0-04:40 आपत्तिकर्ता-बहिया प्र0-05:10 आवेदक- छपरा प्र0-08:39 आपत्तिकर्ता-छपरा प्र0-11:36</p> <p>आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदनकर्ता के वाहन का बीमा फेल है।</p>	<p>BR04G-6308 नि0 तिथि-10.04.10 टैक्स-30.11.2024 फिटनेश-07.12.2024 बीमा-22.04.2025 प्रदूषण-06.12.2024 VLTD -29.11.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -yes</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय अंतराल के अनुसार आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता के समय-सारणी में टकराव नहीं हो रहा है। वाहन पोर्टल से प्राप्त ऑकडा के अनुसार आवेदित वाहन का बीमा की वैधता दिनांक-16.10.2025 तक है।</p> <p>प्रकाशित ऐंजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।</p>		<p>आवेदन क समय आवेदित वाहन का बीमा फेल होने के कारण मौ0 10,000/-रुपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर परमिट स्वीकृत।</p> <p>उक्त का अनुपालन दिनांक-05.11.2024 तक नहीं होने की स्थिति में परमिट अस्वीकृत माना जायेगा एवं आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।</p>
5	<p>बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, मुजफ्फरपुर जिला-मुजफ्फरपुर</p> <p>बैनर का नाम-B.S.R.T.C</p>	<p>BR01PH-3545 नि0 तिथि-02.01.17 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-26.06.2026 बीमा-NA प्रदूषण-19.06.2025 VLTD -30.04.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>छपरा-मोतिहारी मार्ग सं0-3972डा0 छपरा प्र0-07:40 मोतिहारी प्र0-12:55</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p>		<p>स्वीकृत।</p>

<p>6</p> <p>बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, मुजफ्फरपुर जिला-मुजफ्फरपुर</p> <p>बैनर का नाम-B.S.R.T.C</p>	<p>BR01PH-4372</p> <p>नि० तिथि-03.03.17</p> <p>टैक्स-29.10.2024</p> <p>फिटनेश-02.09.2026</p> <p>बीमा- NA</p> <p>प्रदूषण-01.09.2025</p> <p>VLTD -04.03.25</p> <p>जुर्माना-नहीं</p> <p>H.S.R.P -हाँ</p>	<p>मोतिहारी-छपरा मार्ग सं०-3972</p> <p>मोतिहारी प्र०-08:15</p> <p>छपरा प्र०-12:20</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता- रत्नेश कुमार सिंह, पिता- दामोदर सिंह, परमिट सं०-BR2023-SC-1652A, आवृत वाहन सं०-BR06PA-8051 मार्ग छपरा-मोहम्मदपुर, मार्ग सं०-3764। आवेदक- बनियापुर प्र०-11:25, आपत्तिकर्ता-बनियापुर प्र०-11:25, अंतराल-00, आवेदक छपरा प्र०-12:20 आपत्तिकर्ता-छपडा प्र०-12:19, अंतराल 01 मिनट</p> <p>2. आपत्तिकर्ता- संजीव कुमार, पिता-मुनी सिंह, परमिट सं०-BR2022-SC-0944A, आवृत वाहन सं०-BR01PC-4623 मार्ग मोहम्मदपुर-छपरा, मार्ग सं०-3764डॉ० आवेदक- मोहम्मदपुर प्र०-09:57, आपत्तिकर्ता-मोहम्मदपुर प्र०-09:59, अंतराल-02 मिनट</p>	<p>1. BR06PA-8051</p> <p>नि० तिथि-08.09.11</p> <p>टैक्स-07.12.2024</p> <p>फिटनेश-28.02.2025</p> <p>बीमा-22.02.2025</p> <p>प्रदूषण-05.07.2025</p> <p>VLTD -27.12.25</p> <p>जुर्माना-नहीं</p> <p>H.S.R.P -yes</p> <p>2. BR01PC-4623</p> <p>नि० तिथि-06.05.11</p> <p>टैक्स-05.11.2024</p> <p>फिटनेश-29.08.2025</p> <p>बीमा-19.08.2025</p> <p>प्रदूषण-20.08.2025</p> <p>VLTD -08.08.25</p> <p>जुर्माना-नहीं</p> <p>H.S.R.P -yes</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p> <p>आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग अलग-अलग है परन्तु 40% से अधिक कॉमन रूट है।</p>	<p>चूंकि छपरा प्राथमिक विदू है, जहाँ आपत्तिकर्ता एवं आवेदनकर्ता के प्रस्थान समय में अंतराल मात्र 01 मिनट का हो रहा है, जो प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय अंतराल के अनुसार आपत्ति मान्य योग्य है।</p> <p>अतः ट्रिप कटाव के कारण अस्वीकृत।</p>
<p>7.</p> <p>श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पिता-श्री विश्वनाथ सिंह ग्राम+पो०-मीरा मुसेहरी, थाना-छपरा मुफ्फसिल, जिला-सारण</p> <p>बैनर का नाम-जय हनुमान</p>	<p>BR04E-4863</p> <p>नि० तिथि-08.02.08</p> <p>टैक्स-31.01.2025</p> <p>फिटनेश-30.01.2025</p> <p>बीमा-14.02.2025</p> <p>प्रदूषण-06.02.2025</p> <p>VLTD -03.02.25</p> <p>जुर्माना-नहीं</p> <p>H.S.R.P -हाँ</p>	<p>राजोपट्टी कोठी-छपरा मार्ग सं०-3731</p> <p>राजोपट्टी प्र०-10:05</p> <p>छपरा प्र०-14:10</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-12.12.2018 को निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक-11.12.2023 को समाप्त हो चुकी है।</p> <p>प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनो पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।</p> <p>आवेदित वाहन 15 वर्ष पुरानी है और नियमानुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन को प्रतिदिन 100 कि०मी० तक ही परिचालन करना है।</p> <p>आवेदक द्वारा आवेदित मार्ग की दूरी 50 कि०मी० दर्शाते हुए नक्शा सलमन किया गया है परन्तु पोर्टल पर आवेदित मार्ग की दूरी 63 कि०मी० है।</p>	<p>चूंकि आवेदित वाहन की आयु 15 वर्ष से अधिक है एवं आवेदित मार्ग की दूरी पोर्टल के अनुसार 63कि०मी० है। इस प्रकार 01 ट्रिप में आने-जाने की दूरी 126 कि०मी० हो रही है।</p> <p>अतः पोर्टल पर दर्ज दूरी को सही मानते हुए उक्त के आलोक में आवेदन अस्वीकृत।</p> <p>उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार की बैठक दिनांक-10.09.24 के कार्यवाही की कड़िका-6(xii) में एवं इस बैठक की कार्यवाही की कड़िका-9(xii) में वस्तु-स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।</p>

8.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व0 विश्वानाथ सिंह ग्राम+पो0-मीरा मुसेहरी, थाना-छपरा मुफ्फसिल, जिला-सारण वैनर का नाम- जय हनुमान	BR04J-1222 नि0 तिथि-24.01.11 टैक्स-31.12.2024 फिटनेश-11.01.2025 बीमा-25.04.2025 प्रदूषण-30.11.2024 VLTD -11.01.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	सतजोडा-छपरा मार्ग सं0-3691 सतजोडा प्र0-06:10 छपरा प्र0-10:10 सतजोडा प्र0-12:02 छपरा प्र0-16:20	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-12.12.2018 को निर्गत है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।	स्वीकृत।
9.	श्री मनोज कुमार सिंह पिता-श्री बच्चा सिंह ग्राम+पो0-सिकटी भिखम, थाना-मशरक, जिला-सारण  वैनर का नाम- धर्मराज-पियुसराज	BR04Q-2643 नि0 तिथि-27.03.15 टैक्स-26.12.2024 फिटनेश-23.07.2025 बीमा-04.11.2024 प्रदूषण-07.04.2025 VLTD -21.06.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	बसहिया-छपरा मार्ग सं0-2174 बसहिया प्र0-06:10 छपरा प्र0-09:25 बसहिया प्र0-12:30 छपरा प्र0-15:22	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-08.05.2018 को निर्गत है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।	स्वीकृत।
10.	श्री पणू कुमार राय पिता-स्व0 प्रमुनाथ राय ग्राम+पो0-साढा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-सारण  वैनर का नाम- धर्मराज-पियुसराज	BR04PA-6628 नि0 तिथि-12.08.23 टैक्स-09.08.2025 फिटनेश-11.08.2025 बीमा-08.08.2025 प्रदूषण-07.08.2025 VLTD -23.11.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	तरैया-छपरा मार्ग सं0-3826 तरैया प्र0-04:20 छपरा प्र0-06:00 तरैया प्र0-09:35 छपरा प्र0-12:25 तरैया प्र0-16:25 छपरा प्र0-18:33	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।	स्वीकृत।
11.	श्री पणू कुमार राय पिता-स्व0 प्रमुनाथ राय ग्राम+पो0-साढा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-सारण  वैनर का नाम- धर्मराज-पियुसराज	BR04E-9761 नि0 तिथि-19.08.08 टैक्स-29.10.2024 फिटनेश-23.07.2025 बीमा-05.11.2024 प्रदूषण-15.01.2025 VLTD -08.07.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं	छपरा-अमनौर मार्ग सं0-2162 छपरा प्र0-06:10 अमनौर प्र0-10:29	आपत्ति प्राप्त नहीं।	आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-08.05.2018 को निर्गत है।  प्रकाशित ऐजेण्डा में उल्लेखित वाहनों पर बकाया जुर्माना जमा कर दिया गया है।	स्वीकृत।

12	<p>श्री अब्दुल हनान पिता-हारुण रसीद ग्राम+पो0-तकिया याकुब, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज</p> <p>बैनर का नाम- दानिस</p>	<p>BR28P-8676 नि0 तिथि-26.09.24 टैक्स-23.12.2024 फिटनेस-25.09.2026 बीमा-23.09.2025 प्रदूषण-25.09.2025 VLTD -19.01.29 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं</p>	<p>बेतिया-छपरा मार्ग सं0-4108डा0 बेतिया प्र0-04.49 छपरा प्र0-13.54</p>	<p>आपति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। वाहन पोर्टल से जॉंच के क्रम में पाया गया है कि दानिस बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन सं0-BR28-8032 के बीमा की वैधता दि0 14.09. 24 को समाप्त हो चुकी है एवं वाहन सं0-BR01PP-4647 के VLTD सक्रियता की वैधता दि0 15.10.24 को समाप्त हो चुकी है।</p> <p>वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि BR28-8032 का निबंधन प्रत्यर्पित करना है, जिसके लिए आवेदन DTO कार्यालय में जमा कर दिये हैं तथा वाहन सं0- BR01PP-4647 के संबंध में बताया गया कि VLTD सक्रियता समाप्त होने की अवधि में उक्त वाहन का परिचालन नहीं किया गया है एवं VLTD सक्रिय कराने हेतु आवेदन कर दिया गया है।</p>		<p>वाहन सं0- BR01PP-4647 का VLTD सक्रिय नहीं होने के कारण मो0 10,000 /- का जुर्माना एवं VLTD सक्रियता समाप्त होने की अवधि में उक्त वाहन का परिचालन नहीं की गई है व VLTD असक्रिय होने तक परिचालन नहीं की जायेगी, के आशय का शपथ-पत्र दिये जाने के शर्त पर परमिट स्वीकृत।</p> <p>उक्त का अनुपालन दिनांक- 05.11.2024 तक नहीं होने की स्थिति में परमिट अस्वीकृत माना जायेगा एवं आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।</p>
----	---	---	--	---------------------------	--	---	--	--

8. श्री सत्येन्द्र कुमार	BR04J-1222	सतलोज, पंजाब						
<p>13 श्री अब्दुल हनान पिता-हारुण रसीद ग्राम+पो0-तकिया याकुब, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज</p> <p>बैनर का नाम- दानिस</p>	<p>BR28P-8032 नि0 तिथि-25.09.24 टैक्स-23.12.2024 फिटनेश-24.09.2026 बीमा-23.09.2025 प्रदूषण-24.09.2025 VLTD -19.01.29 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>सिवान-गोपालगंज मार्ग सं0-2191 सिवान प्र0-04:25 गोपालगंज प्र0-06:30 सिवान प्र0-09:10 गोपालगंज प्र0-11:40 सिवान प्र0-13:45 गोपालगंज प्र0-15:58 सिवान प्र0-18:05 गोपालगंज प्र0-20:25</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p> <p>वाहन पोर्टल से जाँच के क्रम में पाया गया है कि दानिस बैनर के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहन सं0-BR28-8032 के बीमा की वैधता दि0 14.09.24 को समाप्त हो चुकी है एवं वाहन सं0-BR01PP-4647 के VLTD सक्रियता की वैधता दि0 15.10.24 को समाप्त हो चुकी है।</p> <p>वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि BR28-8032 का निबंधन प्रत्यर्पित करना है, जिसके लिए आवेदन DTO कार्यालय में जमा कर दिये हैं तथा वाहन सं0- BR01PP-4647 के संबंध में बताया गया कि VLTD सक्रियता समाप्त होने की अवधि में उक्त वाहन का परिवालन नहीं किया गया है एवं VLTD सक्रिय कराने हेतु आवेदन कर दिया गया है।</p>		<p>दानिस बैनर के अंतर्गत उपरोक्त क्रमांक-12 में लगाये गये शर्त पर परमिट रवीकृत।</p> <p>उपरोक्त क्रमांक-12 में वर्णित शर्त का अनुपालन दिनांक-05.11.24 तक नहीं होने की स्थिति में परमिट अस्वीकृत माना जायेगा एवं आवेदन Dispose Off कर दिया जायेगा।</p>	
<p>14 श्री अब्दुल हनान पिता-हारुण रसीद ग्राम+पो0-तकिया याकुब, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज</p> <p>बैनर का नाम- दानिस</p>	<p>BR06PD-9627 नि0 तिथि-27.09.18 टैक्स-26.12.2024 फिटनेश-14.12.2025 बीमा-11.12.2024 प्रदूषण-26.11.2025 VLTD -26.11.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>सिवान-गोपालगंज मार्ग सं0-2191 सिवान प्र0-03:45 गोपालगंज प्र0-06:11 सिवान प्र0-07:23 गोपालगंज प्र0-09:50 सिवान प्र0-12:23 गोपालगंज प्र0-14:09 सिवान प्र0-16:22 गोपालगंज प्र0-18:27</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता- सूर्यदेव प्रसाद, पिता- लाल बाबू सिंह, परमिट सं0-09/2021, आवृत वाहन सं0-BR29PA-7621 मार्ग सिवान -गोपालगंज, मार्ग सं0-2191 आवेदक- सिवान प्र0-12:23, आपत्तिकर्ता-सिवान प्र0-12:25, अंतराल-02 मिनट</p>	<p>1. BR29PA-7621 नि0 तिथि-28.12.2019 टैक्स-27.12.24 फिटनेश-27.12.25 बीमा-16.12.2024 प्रदूषण-06.12.24 VLTD -10.04.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p> <p>कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-BR28P-2333, परमिट सं0-BR2021-SC-0693A वैधता-24.03.2026 का सिवान में प्र0 समय 07:27 है एवं आवेदक का सिवान में प्र0 समय 07:23 है। अंतराल 04 मिनट है, जबकि 5 मिनट का होना चाहिए।</p>	<p>BR28P-2333 नि0 तिथि-20.03.2020 टैक्स-17.12.2024 फिटनेश-20.03.26 बीमा-16.03.25 प्रदूषण-14.03.25 VLTD -11.04.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>आवेदन वापस ले लिया गया है।</p>	

15	<p>श्री रणजीत कुमार पिता-श्री नारायण शर्मा ग्राम+पो0-छोटा बरियारपुर, धाना-छत्तीनी मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण</p> <p>बैनर का नाम- सिद्धी विनायक</p>	<p>BR52P-1437 नि0 तिथि-28.03.17 टैक्स-15.01.2025 फिटनेश-10.07.2026 बीमा-01.10.2025 प्रदूषण-10.03.2025 VLTD -03.11.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P- लंबित</p>	<p>गुठनी-रक्सौल मार्ग सं0-3675 गुठनी प्र0-7:50 रक्सौल प्र0-15:16</p>	<p>1. आपतिकर्ता- आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- रामएकबाल पांडे, परमिट सं0-BR2024-SC- 0531A, आवृत वाहन सं0-BR05PB-3495 मार्ग रसौल-सिवान, मार्ग सं0-2465डा0 आवेदक- मोतिहारी प्र0-12:11, आपतिकर्ता-मोतिहारी प्र0-12:10 , अंतराल-01 मिनट</p> <p>2. आपतिकर्ता- अरुण कुमार, पिता- उमेश चन्द्र सिंह, परमिट सं0-04/2024, आवृत वाहन सं0-BR06PE-0950 मार्ग-सिवान से मोतिहारी, मार्ग सं0-2199 आवेदक- खजुरिया प्र0-18:08, आपतिकर्ता-खजुरिया प्र0-18:09, अंतराल-01 मिनट आवेदक- गोपालगंज प्र0-19:16,आपतिकर्ता- गोपालगंज प्र0-19:16, अंतराल- समान समय</p>	<p>1. BR05PB- 3495 नि0 तिथि-25.02.20 टैक्स-20.11.2024 फिटनेश-01.02.2026 बीमा-11.06.2025 प्रदूषण-20.02.2025 VLTD -08.01.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -Yes</p> <p>2. BR06PE- 0950 नि0 तिथि-18.12.18 टैक्स-05.12.2024 फिटनेश-07.02.2025 बीमा-17.01.2025 प्रदूषण-15.05.2025 VLTD -06.02.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -yes</p>	<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपति- 1. आपतिकर्ता एवं आवेदक का मार्ग अलग-अलग है परन्तु 40% से अधिक कॉमन रूट हैं। 2. आपतिकर्ता एवं आवेदक का मार्ग अलग-अलग है परन्तु 40% से अधिक कॉमन रूट हैं।</p>		<p>चूंकि आपतिकर्ता एवं आवेदक के समय-सारणी में मोतिहारी एवं खजुरिया में प्र0 समय में अंतराल 01 मिनट एवं गोपालगंज में समान समय हो रहा है।</p> <p>इसलिए गोपालगंज, खजुरिया एवं मोतिहारी वाईपास के साथ परमिट स्वीकृत।</p>
----	---	---	--	---	---	---	--	--

<p>16 श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता-स्व० भरत भूषण सिंह ग्राम+पो०- रमणा झखड़ा, थाना-पिपरा कोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण।</p> <p>बैनर का नाम- रमणा</p>	<p>BR05PB-0347 नि० तिथि-16.02.2019 टैक्स-12.11.2024 फिटनेस-28.02.2025 बीमा-10.02.2025 प्रदूषण-15.11.2024 VLTD -12.02.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>रक्सौल-गुठनी मार्ग सं०-2181 रक्सौल प्र०-4-39 गुठनी प्र०-11-25</p>	<p>आपत्तिकर्ता- श्री अभिषेक कुमार पिता- रामतपस्या पुरी, परमिट सं०-03/2023 आवृत वाहन सं०-BR05PB-0220 मार्ग सीवान-मोतिहारी, मार्ग सं०-4077 आपत्तिकर्ता का आपत्ति निम्नवत् है:- (i). आवेदक नरकटिया से लखौरा की दूरी 16 कि०मी० 36 मिनट में तय कर रहे हैं तथा मीरगंज से गोपालगंज 16 कि०मी० की दूरी 38 मिनट में तय कर रहे हैं, जो गति सीमा का उल्लंघन है। (ii). आवेदक का एक बस सं०-BR06PF-1649 का निबंधन Non AC में है लेकिन वाहन AC है, इनके द्वारा राजस्व का गबन हो रहा है। (iii). आवेदक का एक अन्य बस सं०- BR06P-8309 15 वर्ष पुरानी है तथा पूर्व के परमिट सं०-BR2023-SC-1718 पर ही चलती है।</p>	<p>BR05PB-0220 नि० तिथि-05.02.2019 टैक्स-29.10.2024 फिटनेस-04.04.2025 बीमा-12.03.2025 प्रदूषण-08.01.2025 VLTD -26.03.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -yes</p>	<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक-21.06.2023 को निर्गत है।</p> <p>वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार आपत्ति क्रमांक-(ii) में उल्लेखित वाहन आवेदक के नाम से निबंधित है जो Non AC है इस वाहन का परमिट Muz प्राधिकार से मोतिहारी-पटना निर्गत है एवं आपत्ति क्रमांक-(iii) में उल्लेखित वाहन सं०-BR06P- 8309 श्री वशिष्ठ कुमार सिंह, पिता-श्री विरेन्द्र सिंह के नाम से निबंधित है, जिसका निबंधन तिथि-11.06.2009 है। उक्त वाहन पर छपरा- मोतिहारी के लिए परमिट निर्गत है, जिसकी वैधता दि०-14.06.2028 तक है एवं उक्त मार्ग की दूरी वाहन पोर्टल पर 119 कि०मी० है।</p> <p>आवेदक द्वारा शपथ-पत्र में उक्त दोनों वाहनों का उल्लेख एवं आवेदित वाहन का अंदर बाहर का फोटो संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>आपत्ति में वर्णित वाहन सं०-BR06PF-1649 का AC में परिवर्तित करने संबंधी साक्ष्य यथा-फोटो एवं विडियो आपत्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि आवेदक द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए राजस्व की हानि की गई है।</p> <p>वर्णित स्थिति में निम्नवत् निर्णय लिया गया :-</p> <p>(i) मामले के संबंध में संबंधित DTO से पत्राचार की जाय कि लगाये गये आरोप की जाँच करे एवं आरोप सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्राधिकार को उक्त वाहन का परमिट निलंबन/रद्द करने के संबंध में प्रतिवेदित करे।</p> <p>(ii) साक्ष्य की प्रति संलग्न कर उक्त वाहन का परमिट निर्गत करने वाले प्राधिकार को नियमानुसार कार्रवाई हेतु सूचित किया जाय।</p> <p>(iii) साक्ष्यों की प्रति संलग्न कर आवेदक से 05 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की जाय कि क्यों नहीं परमिट शर्तों के उल्लंघन करने के आलोक में इनका</p>
--	--	--	---	--	---	--



							<p>आवेदन अस्वीकृत किया जाय।</p> <p><b>अनुपालन-</b> RTA सचिव।</p> <p>(iv) संबंधित DTO से प्रतिवेदन एवं आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् विचाराधीन आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।</p> <p>(v) वाहन सं- BR06P- 8309 का परमिट प्रतिस्थापन हेतु आवेदन शीघ्र नहीं दिया जाता है तो नियमानुसार परमिट निलंबन/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।</p>
17	<p>श्री प्रफुल्ल कुमार तिवारी पिता-श्रीकांत तिवारी, ग्राम+पो0-सिवरा वेलवा, थाना-रामनगर, जिला-पश्चिम चम्पारण।</p> <p>बैनर का नाम- शाही</p>	<p>BR01PE-0195 नि0 तिथि-08.04.13 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-27.02.2025 बीमा-27.03.2025 प्रदूषण-04.07.2025 VLTD -01.02.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हैं</p>	<p>सीवान-बेतिया मार्ग सं0-4011 सीवान प्र0-04:14 बेतिया प्र0-07:09 सीवान प्र0-09:54 बेतिया प्र0-16:30</p>	<p>आपतिकर्ता- श्री मनोज कुमार, पिता- चन्द्रभूषण सिंह, परमिट सं0-BR/106/SC/BUS/2019 /117 आवृत वाहन सं0-BR06PD-7271 मार्ग मंगलपुर-सिवान, मार्ग सं0-2218 आवेदक- सिवान प्र0-09:54 पूर्वा0, आपतिकर्ता-सिवान प्र0-09:54 पूर्वा0 अंतराल-0 आपतिकर्ता का आपति है कि आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी में मार्ग की कुल दूरी 72 कि0मी0 दर्शाया गया है। जबकि परिवहन विभाग के परमिट पोर्टल पर मार्ग की दूरी 81 कि0मी0 दर्ज है।</p>	<p>BR06PD-7271 नि0 तिथि-28.02.18 टैक्स-26.11.2024 फिटनेश-26.6.2026 बीमा-30.07.2025 प्रदूषण-10.06.2025 VLTD -08.04.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -लंबित।</p>		<p>आवेदन वापस ले लिया गया है।</p>

18	<p>श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता-स्व0 भरत भूषण सिंह ग्राम+पो0- रमणा झखड़ा, धाना-पिपरा कोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण।</p> <p>बैनर का नाम- रमणा</p>	<p>BR05P-9583 नि0 तिथि-07.08.13 टैक्स-02.11.2024 फिटनेश-05.08.2025 बीमा-04.10.2025 प्रदूषण-03.09.2025 VLTD -07.10.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हाँ।</p>	<p>मोतिहारी-सीवान मार्ग सं0-4077डो0 मोतिहारी प्र0-10:21 सीवान प्र0-14:06</p>	<p>आपतिकर्ता- श्री अभिषेक कुमार, पिता- रामतपस्या पुरी, परमिट सं0-BR2023-SC-027A, आवृत वाहन सं0-BR05PB-0220 मार्ग सीवान-मोतिहारी, मार्ग सं0-4077 आपतिकर्ता का आपति निम्नवत् है:- (i). आवेदक का एक बस सं0-BR06PE-1649 का निबंधन Non AC में है लेकिन वाहन AC है, इनके द्वारा सरकारी राजस्व का गबन हो रहा है। (ii) आवेदक का एक अन्य बस सं0- BR06P-8309 15 वर्ष पुराना है तथा पूर्व के ही परमिट सं0-BR2023-SC-1718 पर ही चलती है। (iii) आवेदक मोतिहारी से मेरे समय 10:26 के आगे 10:21 में प्रस्थान कर खजूरिया, महम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, एवं सिवान में ओभरटेक कर पीछे हो जा रहे हैं।</p>	<p>BR05PB-0220 नि0 तिथि-05.02.19 टैक्स-29.10.2024 फिटनेश-04.04.2025 बीमा-12.03.2025 प्रदूषण-08.01.2025 VLTD -26.03.25 जुर्माना-हाँ H.S.R.P -yes</p>	<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो इस प्राधिकार से दिनांक- 17.01.2023 को निर्गत है।</p> <p>वाहन पोर्टल पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार आपति क्रमांक-(i) में उल्लेखित वाहन आवेदक के नाम से निबंधित है एवं आपति क्रमांक-(ii) में उल्लेखित वाहन सं0- BR06P-8309 श्री वशिष्ठ कुमार सिंह, पिता-श्री विरेन्द्र सिंह के नाम से निबंधित है, जिसका निबंधन तिथि-11.06.2009 है। उक्त वाहन पर छपरा- मोतिहारी के लिए परमिट निर्गत है, जिसकी वैधता दि0-14.06.2028 तक है एवं उक्त मार्ग की दूरी वाहन पोर्टल पर 119 कि0मी0 है।</p> <p>आवेदक द्वारा शपथ-पत्र में उक्त दोनों वाहनों का उल्लेख एवं आवेदित वाहन का अंदर बाहर का फोटो संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>चूंकि उपरोक्त क्रमांक-16 में आवेदित वाहन के स्वामी एवं बैनर समान है एवं आपति भी समान है।</p> <p>उक्त क्रमांक-16 में लिये गये निर्णय के समी बिंदु इस वाहन पर भी लागू होते हैं।</p> <p>अतः उक्त क्रमांक-16 में लिये गये निर्णय के आलोक में इस वाहन के संबंध में भी संबंधित से पत्राचार किया जाय।</p> <p>अनुपालन- RTA, सचिव।</p> <p>संबंधित DTO से प्रतिवेदन एवं आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् विद्याराधनीन आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा।</p>
----	---	---	--	--	---	---	--

19	<p>श्री राजेश कुमार पिता-श्री विश्वनाथ प्रसाद ग्राम+पो0- गोपालगंज सिनेमा रोड, थाना-गोपालगंज, जिला-गोपालगंज।</p> <p>बैनर का नाम- KGN</p>	<p>BR28P-4851 नि0 तिथि-10.06.23 टैक्स-09.12.2024 फिटनेश-06.06.2025 बीमा-14.05.2025 प्रदूषण-10.06.2025 VLTD -08.06.25 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>रक्सौल-गुठनी मार्ग सं0-3675 रक्सौल प्र0-06:29 गुठनी प्र0-13:35</p>	<p>1. आपत्तिकर्ता- आलोक कुमार पाण्डेय, पिता- रामएकबाल पांडे, परमिट सं0-BR2024-SC- 0531A, आवृत वाहन सं0-BR05PB-3495 मार्ग रसौल-सिवान,मार्ग सं0-2465ड0। (i) आवेदक के बैनर का नाम KGN है तथा इनका एक बस सं0- BR31P-1659, जिसका परमिट सं0- BR2023-SC- 1502A है, जो मार्ग सिवान से रसौल है वह बस स्थायी रूप से स्कूल में चलती है तथा उक्त समय पर वह मुख्यमंत्री परिवहन योजना से अनुदानित बस संख्या-BR28P-8451 का परिचालन करते हैं, उक्त बस का फिटनेश व प्रदूषण फेल है। (ii) आवेदक का एक अन्य बस सं0- BR28E-7262 भी परमिट युक्त बस है, लेकिन वह स्कूल में चलती है तथा एक अन्य बस सं0- BR28P-3375 भी स्कूल में चलती है तथा उसका प्रकाशन मुज0 में किये हैं। (iii) आवेदक वर्तमान में जिस बस का प्रकाशन किए हैं वह बस पूर्व से परमिट युक्त है, लेकिन अन्य प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराए हैं। (iv) आवेदक द्वारा गुठनी से सिवान की दूरी 32 कि0मी0 दिए हैं लेकिन नक्शा के अनुसार 35 कि0मी0 है। आवेदक के वाहन सं0-BR31P-1659, BR28E- 7262 एवं BR28P-3375 के स्थायी परमिट को रद्द करने की कृपा करें।</p>	<p>1. BR05PB- 3495 नि0 तिथि-25.02.20 टैक्स-20.11.2024 फिटनेश-01.02.2026 बीमा-11.06.2025 प्रदूषण-20.02.2025 VLTD -08.01.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-yes</p>	<p>आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट है, जो एस0टी0ए0, बिहार से दिनांक-28.12.2023 को निर्गत है। कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-BR06PE-7571, परमिट संख्या- BR2021-SC-3061A वैधता-08.12.2026 का रक्सौल में प्र0 समय 06:29 है एवं आवेदक का रक्सौल में प्र0 समय 06:29 है। समान समय है, परन्तु उक्त वाहन का परमिट को इसी बैठक में प्रत्यर्पित/सरेण्डर करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया है।</p>	<p>BR06PE- 7571 नि0 तिथि-10.02. 2020 टैक्स-09.11.24 फिट0-24.08.24 बीमा-21.01.24 प्रदूषण-05.12.24 VLTD -NA जुर्माना-नहीं H.S.R.P -yes</p>	<p>चूंकि अभियुक्ति में उल्लेखित जिस वाहन के परमिट से समय- सारणी का टकराय हो रही है, वो प्रत्यर्पित/ सरेण्डर कर दिया गया है। अतः परमिट स्वीकृत। आपत्तिकर्ता द्वारा KGN बैनर के अंतर्गत आपत्ति में उल्लेखित वाहनों पर लगाये गये आरोप के संबंध में संबंधित DTO से पत्राचार की जाय कि लगाये गये आरोप की जाँच करे एवं आरोप सही पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित प्राधिकार को उक्त वाहन का परमिट नियमानुसार निलवन/रद्द करने के संबंध में प्रतिवेदित करें। अनुपालन- RTA,सचिव।</p>
----	---	---	---	---	---	---	--	---

20	<p>श्री चन्द्र भूषण पिता-श्री सचिदानंद राय ग्राम+पो0- घेघटा, थाना-मुफ्फसील, जिला-सारण, छपरा।</p> <p>बैनर का नाम- संकट मोचन।</p>	<p>BR04PA-8911 नि0 तिथि-07.09.24 टैक्स-05.12.2024 फिटनेश-06.09.2026 बीमा-05.09.2025 प्रदूषण-06.09.2025 VLTD -09.09.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -हाँ</p>	<p>मॉड्री-बैरिया बस स्टैंड मार्ग सं0-3957 मॉड्री प्र0-05:22 बैरिया प्र0-11:32</p>	<p>आपत्ति प्राप्त नहीं।</p>		<p>आवेदित वाहन परमिट से आवृत नहीं है।</p> <p>कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-BR04PA-6380, परमिट संख्या- BR2022-SC-1837A वैधता-22.08.2027 का मॉड्री में प्र0 समय 05:25 है एवं आवेदक का मॉड्री में प्र0 समय 05:22 है। समय अंतराल 3 मिनट है, जबकि 5 मिनट का होना चाहिए।</p>	<p>BR04PA-6380 नि0 तिथि-03.06. 2022 टैक्स-26.11.24 फिट0-30.07.26 बीमा-28.05.25 प्रदूषण-10.12.24 VLTD-27.07.26 जुर्माना-नहीं H.S.R.P -yes</p>	<p>अभियुक्ति में उल्लेखित वाहन के परमिट के समय- सारणी से टकराव होने की स्थिति में ट्रिप कटाव के कारण अस्वीकृत।</p>
----	---	--	---	-----------------------------	--	--	--	--

3/

A

Q

4.

9/

कार्यावली संख्या-03 (ii-iv)	
(ii)	अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवाड़ी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदनों की विवरणी -शून्य।
(iii)	ऐजेन्ट लाईसेंस- शून्य।
(iv)	स्थायी परमिटों के प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त आवेदनों की विवरणी-शून्य।

कार्यावली संख्या-03 (v)							
बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 82 के तहत स्टेज कैरेज के परमिटों के नवीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण							
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या एवं निबंधन की तिथि	परमिट संख्या एवं उसकी वैधता	कागजातों की वैधता	नवीकरण हेतु आवेदित मार्ग एवं भाया	कार्यालय द्वारा की गई समीक्षा की विवरणी	अभियुक्ति
1	श्री मुकेश कुमार पिता-स्व० जलेश्वर राय ग्राम- दहियाँवा टोला, पो०+थाना-छपरा, जिला-सारण, छपरा।  बैनर का नाम- गोपाल	BR04J-5852 नि० तिथि-30.01.2012	परमिट सं०-129/2019 वैधता-25.08.2024	टैक्स-13.01.2025 फिटनेश-17.12.2024 बीमा-17.05.2025 प्रदूषण-25.10.2025 VLTD -15.09.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हो	मार्ग-2169 बंगरा घाट-छपरा भाया-चकिया, सतजोडा, बेलउर बाजार, सिडरी, राजापट्टी कोठी, राजापट्टी, जुमरसन, मशरख, इसुआपुर।	नवीकरण हेतु आवेदित मार्ग अधिसूचित है, जिसका मार्ग सं०-2169 है।	स्वीकृत।
2	श्री पप्पु कुमार राय पिता-स्व० प्रभुनाथ राय ग्राम- साढा, थाना-छपरा मुफसिल, जिला-सारण, छपरा।  बैनर का नाम- धर्मराज-पियूष राज	BR04PA-3329 नि० तिथि-18.02.2019	परमिट सं०-109/2019 वैधता-23.08.2024	टैक्स-17.11.2024 फिटनेश-09.04.2025 बीमा-05.02.2025 प्रदूषण-19.06.2025 VLTD -20.03.2025 जुर्माना-नहीं H.S.R.P-हो	मार्ग-2171 छपरा-लक्ष्मीगंज भाया-पटेडा, मटौरा, तरेया, पानापुर, सतजोडा, चकिया, बगडीहा, सेमराहा, जगदीशपुर, हेमु छपरा।	नवीकरण हेतु आवेदित मार्ग अधिसूचित है, जिसका मार्ग सं०-2171 है।	स्वीकृत।

कार्यावली संख्या-03 (vi)						
बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 86 के अनुसार परमिट को रद्द करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचारण						
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या/मॉडल	परमिट सं० एवं वैधता	शुल्क	अभियुक्ति	
1.	श्रीमती निलम देवी	BR04PA-4966 M-2018	199/2018, 19.12.2028	1000/-	स्वीकृत।	
2.	श्रीमती निलम देवी	BR04PA-7666 M-2019	09/2019, 05.02.2024	1000/-	स्वीकृत।	
3.	श्री रामनाथ सिंह	BR29PA-3099 M-2017	50/2022, 27.04.2027	1000/-	स्वीकृत।	
4.	श्री सुबोध यादव	BR06PE-7571 M-2020	127/2021, 08.12.2026	1000/-	स्वीकृत।	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "01/11/24" and other illegible marks.